**लीलाजान सिंचाई परियोजना**

2107. **श्री रणजीत सिंह :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की लीलाजान सिंचाई परियोजना वर्ष 1972 से केन्द्र सरकार के पास लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा तथा सरकार का इस परियोजना के लिए इस वर्ष कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है ?

**सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री हरिनाथ मिश्र ) :** (क) और (ख) बिहार सरकार ने 33.72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की लीलाजान जलाशय स्कीम की परियोजना रिपोर्ट 1977 में प्रस्तुत की थी और केन्द्रीय जल आयोग ने इस स्कीम पर अपनी टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी थीं । परियोजना प्राधिकारियों को उचित जल वैज्ञानिक-अध्ययन करने तथा उन्हें केन्द्रीय जल आयोग के पास जांच हेतु भेजने के लिए भी सलाह दी गई थी । राज्य सरकार ने मई, 1984 में ये अध्ययन भेज दिए हैं तथा इनकी जांच की जा रही है । इन अध्ययनों, जिन्हें अभी अंतिम रूप दिया जाना है, तथा परियोजना के अन्य पहलुओं पर टिप्पणियों के आधार पर राज्य सरकार को एक आशोधित परियोजना रिपोर्ट तथा अद्यतन लागत अनुमान जांच के लिए और योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करने होंगे ।

वर्ष 1984-85 के दौरान, बिहार सरकार ने इस परियोजना के लिए किसी भी परिव्यय का प्रस्ताव नहीं किया है।

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्जी ऋणों का दिया जाना**

2108. **श्री शिव शरण वर्मा :**
**श्री राम किंकर :**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर, प्रताप गढ़, जोन पुर और पास के जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाखों रुपये के फर्जी ऋण दिए गए हैं और संबंधित अधिकारी उसके द्वारा वैयक्तिक लाभ उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऋणों के गोलमाल के ऐसे मामलों की जांच कराने का विचार है और क्या उसकी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है, जिनका ऐसे फर्जी ऋण देने में हाथ है, और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) :** (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण-कार्य प्रारम्भ करके ग्रामीण बेरोजगार/अल्प रोजगार वाले लोगों के लिए रोजगार पैदा किया जाता है जिससे ग्रामीण आधारभूत ढांचा सुदृढ होता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं दिया जाता है ।